प्रेस नोट
दिनांक 28.03.2026

थाना को0 कर्नलगंज पुलिस द्वारा छिनैती की घटनाओं का सफल अनावरण करते हुए शातिर अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार, कब्जे से विभिन्न छिनैती के 11,900/- रू0 नकद व घटना में प्रयुक्त 01 अदद चोरी की मोटरसाईकिल बरामद-

पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री विनीत जायसवाल द्वारा अपराध एवं अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पश्चिमी श्री राधेश्याम राय के पर्यवेक्षण व क्षेत्राधिकारी कर्नलगंज श्री अभिषेक दवाच्या के नेतृत्व में थाना को0 कर्नलगंज पुलिस द्वारा मु0अ0सं0-99/26, धारा 304(2) बीएनएस की घटना का सफल अनावरण करते हुए शातिर अभियुक्त विवेक पाण्डेय उर्फ विक्कू पुत्र सुशील कुमार पाण्डेय निवासी शिवबक्स पुरवा, थाना तरबगंज, जनपद गोण्डा को कुतुबपुर बंधा मोड़ से गिरफ्तार कर उसके कब्जे से विभिन्न छिनैती के 11,900/- रू0 नकद व घटना में प्रयुक्त 01 अदद चोरी की मोटरसाईकिल बरामद किया गया।

घटना का संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 19.02.2026 को वादी अंकुश तिवारी पुत्र सुशील तिवारी निवासी ग्राम सोनहरा जियापुरवा थाना कर्नलगंज जनपद गोण्डा द्वारा थाना को0 कर्नलगंज में सूचना दी गयी कि वह अपनी माता के साथ बाइक से विवाह कार्यक्रम में जा रहे थे। समय करीब 01:35 बजे दिन चकरीत बाजार से लगभग 1 किमी पहले दो अज्ञात पल्सर बाइक सवार व्यक्तियों द्वारा उनकी माता के कान की झुमकी झपट्टा मारकर लूट ली गई, जिससे उनकी माता का कान फट गया एवं चोट आई। अभियुक्तगण घटना के बाद मौके से फरार हो गए। वादी की लिखित तहरीर के आधार पर थाना को0 कर्नलगंज में सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया। जिसमें आज दिनांक 28.03.2026 को थाना को0 कर्नलगंज पुलिस द्वारा इलेक्ट्रानिक/मैनुअल साक्ष्यों के आधार पर घटना कारित करने के आरोपी अभियुक्त- विवेक पाण्डेय उर्फ विक्कू पुत्र सुशील कुमार पाण्डेय निवासी शिवबक्स पुरवा, थाना तरबगंज, जनपद गोण्डा को कुतुबपुर बंधा मोड़ से गिरफ्तार कर उसके कब्जे से कुल 11,600/- (₹4,200/-थाना करनैलगंज से संबंधित), ₹3,700/- थाना परशुरामपुर, जनपद बस्ती से संबंधित, ₹4,000/- कोतवाली देहात, जनपद गोण्डा से संबंधित) नकद व घटना में प्रयुक्त 01 अदद चोरी की मोटरसाईकिल बरामद किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के विरूद्ध थाना को0 कर्नलगंज पुलिस द्वारा अग्रिम विधिक कार्यवाही कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

पूछताछ का विवरण-

गिरफ्तार अभियुक्त से पूछताछ करने पर उसने बताया कि वह अपने साथियों अमित तिवारी उर्फ धुरले, शिवानन्द पाण्डेय, सचिन ओझा व अन्य के साथ मिलकर आस-पास के जनपदों में झपटमारी/चोरी की घटनाएं करता है। गिरोह द्वारा घटनाओं को अंजाम देने के लिए दो मोटरसाइकिलों का उपयोग किया जाता था, जिसमें एक से रेकी (निगरानी) की जाती थी तथा दूसरी से झपटमारी की घटना की जाती थी। अभियुक्त ने बताया कि बरामद मोटरसाइकिल हीरो स्प्लेंडर प्लस को उसने अपने साथी अमित तिवारी के साथ मिलकर जरवल रेलवे स्टेशन के पास से चोरी किया था। बरामद ₹11,900/- के संबंध में अभियुक्त ने बताया कि यह धनराशि पूर्व में की गई झपटमारी की घटनाओं से प्राप्त हिस्से की बची हुई रकम है। उसने स्वीकार किया कि कुछ माह पूर्व परशुरामपुर क्षेत्र में एक महिला का पर्स छीनकर जेवरात व नगदी प्राप्त की थी। परसपुर रोड के पास एक महिला के कान से झुमका छीना गया था। हाल ही में गोण्डा-अयोध्या रोड पर भी एक महिला के कान की बाली नोची गई थी। इसके अतिरिक्त अयोध्या जनपद में भी झपटमारी की घटनाएं की गई थीं।

गिरफ्तार अभियुक्त–

01. विवेक पाण्डेय उर्फ विक्कू पुत्र सुशील कुमार पाण्डेय निवासी शिवबक्स पुरवा, थाना तरबगंज, जनपद गोण्डा।

अनावरित अभियोग–

01. मु0अ0सं0– 99/2026 धारा 304(2),317(2) बीएनएस थाना को0 कर्नलगंज जनपद गोण्डा।
02. मु0अ0सं0–199/26, धारा 304(2),317(2) बीएनएस थाना को0 देहात जनपद गोण्डा।
03. मु0अ0सं0–19/26, धारा 304,317(2) बीएनएस थाना परशुरामपुर जनपद बस्ती।

बरामदगी–

01. ₹4,200/– (थाना करनैलगंज से संबंधित)
02. ₹3,700/– (थाना परशुरामपुर, जनपद बस्ती से संबंधित)
03. ₹4,000/– (कोतवाली देहात, जनपद गोण्डा से संबंधित)
04. 01 अदद चोरी की मोटरसाईकिल।

गिरफ्तार कर्ता टीम–

01. उ0नि0 मिर्जा वहीद बेग।
02. उ0नि0 अजय कान्त द्विवेदी।
03. हे0का0 सुभाष यादव।
04. का0 माधव मुरारी मिश्रा।
05. का0 जितेन्द्र कुमार द्वितीय।

मीडिया सेल, गोण्डा।

<u>प्रेस नोट</u>
<u>दिनांक 28.03.2026</u>

‘ऑपरेशन कन्विक्शन’ के तहत प्रभावी पैरवी से 02 हत्याभियुक्तों को हुई सश्रम आजीवन कारावास व रूपये 32,500–32,500/– के अर्थदण्ड की सजा–

घटना का संक्षिप्त विवरण–

दिनांक 02.02.2023 को वादी सूर्य कुमार शुक्ला पुत्र शिव प्रसाद शुक्ला द्वारा थाना उमरीबेगमगंज पर सूचना दी कि दिनांक 01.02.2023 को रात्रि करीब 10.30 बजे मेरे पुत्र सुनील शुक्ल को छीनैती की नियत से विपक्षी प्रिंस तिवारी व उसके साथी द्वारा रोककर तमंचे से फायर कर हत्या कर दी गई हैं। उक्त सूचना पर थाना उमरीबेगमगंज में सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया था तथा आरोपी अभियुक्तों पिन्स तिवारी उर्फ प्रिन्स प्रकाश तिवारी व बब्लू उपाध्याय को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था। थाना स्थानीय पर तत्कालीन विवेचक द्वारा साक्ष्य संकलन व विवेचनात्मक कार्यवाही के उपरान्त अभियुक्त के विरूद्ध आरोप पत्र दिनांक 04.03.2023 को माननीय न्यायालय में प्रेषित किया गया।

दोषसिद्धि का विवरण–

श्रीमान पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 लखनऊ महोदय के आदेश के क्रम एवं श्रीमान पुलिस अधीक्षक गोण्डा के निर्देशन में ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत चिन्हित अपराधों में दोषी अभियुक्तों के विरूद्ध माननीय न्यायालय द्वारा अधिकतम/त्वरित दंडात्मक कार्यवाही हेतु जनपदीय पुलिस द्वारा विशेष अभियान चलाया जा रहा है। जिसके क्रम में आज दिनांक 28.03.2026 को थाना उमरीबेमगंज में पंजीकृत हत्या सम्बन्धी अपराध में अभियोजक श्री अवनीश धर द्विवेदी, थाना उमरीबेगमगंज के पैरोकार का0 उपदेश कुमार व कोर्ट मोहर्रिर म0का0 सुषमा यादव के द्वारा की गयी प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप अपर जनपद एवं सत्र न्यायाधीश प्रथम महोदया श्रीमती नम्रता अग्रवाल द्वारा अभियुक्त प्रिन्स तिवारी उर्फ प्रिन्स व बब्लू उपाध्याय को दोषसिद्ध करते हुए सश्रम अजीवन कारावास व रू0 32,500–32,500/– के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है।

अभियुक्तगण का नाम पता–

01. पिन्स तिवारी उर्फ प्रिन्स प्रकाश तिवारी पुत्र शिवमगन तिवारी नि0 ग्राम टनटनवापुर लिलोई कला थााना उमरीबेगमगंज जनपद गोण्डा।
02. बब्लू उपाध्याय पुत्र स्व0 राम प्रताप उपाध्याय नि0 खरौड़ा थाना तरबगंज जनपद गोण्डा।

अभियोग का विवरण–

01. मु0अ0सं0–36/23, धारा 302,341,506 भादवि थाना उमरीबेगमगंज जनपद गोण्डा।

<u>मीडिया सेल, गोण्डा।</u>